संख्या-58/2022/1777 ई-2/तेरह-2022/261292

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 09 नवम्बर,2022

विषयः- मेसर्स रेडिको खेतान लि, जिला-रामपुर की कुल अधिष्ठापित क्षमता 1024.60 लाख ब.ली. के अन्तर्गत आसवनी पेय क्षमता 90 प्रतिशत अर्थात 922 लाख ब.ली. से बढ़ाकर 95 प्रतिशत अर्थात 973 लाख ब.ली. वार्षिक किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः जी.-236/दो-प्रा.डी.-10/रेडिको, दिनांक 20-10-2022 एवं प्रकरण में अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 03-11-2022 के कार्यवृत्त संख्याः 1835 ई-2/तेरह-2022/261292, दिनांक 07-11-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 20-10-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स रेडिको खेतान लि जिला-रामपुर की स्वीकृत वार्षिक पेय क्षमता को कुल अधिष्ठापित क्षमता 1024.60 लाख ब.ली. के अन्तर्गत 90 प्रतिशत अर्थात 922 लाख ब.ली. से बढ़ाकर 95 प्रतिशत अर्थात 973 लाख ब.ली. वार्षिक किये जाने की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि, आसवक द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्पादन किया जाएगाः-

(1) उ.प्र. आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियामवली-2019 एवं उ.प्र. आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्रहवां संशोधन) नियामवली-2020 में उल्लिखित नियम व शर्तें।

(2) आसवनी द्वारा अल्कोहल उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादित इम्प्योर स्प्रिट का उपयोग औद्योगिक अथवा अपेय प्रयोजनों हेतु किया जाएगा ।

(3) आसवनी द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग पैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा ।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in